न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 11/2007

श्रीमती लादी देवी पत्नी गोपाल लाल बलाई निवासी बघेरा तहसील केकडी, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

(1) राजस्थान सरकार

(2) श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम मेघवंशी निवासी सरदार की ढाणी तहसील व जिला अजमेर मुख्त्यारआम मोहन व विशन उर्फ किशन पुत्र मोटा व श्रीमती गुलाब पत्नी पासी भांवी निवासी लोहागल तहसील व जिला अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ..... अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

आदेश

दिनांकः– 28/7/2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

अपीलान्ट द्वारा ग्राम लोहागल के आराजी ख0न0 266 रकबा 01–02–00 बीघा भूमि में से 422.22 वर्गगज भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के रेस्पोडेंट संख्या–2 से क्रय कर कयशुदा भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु नायब तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का द्वारा आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 331 भरकर आवश्यक स्वीकृति हेतु पेश करने पर नायब तहसीलदार अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2000 से उक्त नामान्तरकरण इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रकरण में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के पत्र कमांक विधि/97/635 दिनांक 30.09.97 द्वारा अपील करने के निर्देश प्रदत्त किये गये हैं जिसमें तहसील स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आदेश दिनांक 31.05.2000 से रूष्ठ होकर एक अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के यहां राजस्व अपील संख्या 47/2000 उनवान लादी देवी बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व, अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2000 निरस्त कर अपील अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner

साथ रिमाण्ड किया कि वे–उप शासन सचिव के पत्र संख्या प–6(14)राज/6/97 जयपुर दिनांक 15.07.98 के परिपेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु आदेश दिनांक 09.11.2011 से निर्देशित करने पर प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

नोटिस जारी करने के उपरान्त भी रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुए, तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेंट ने नोटिस लेने से मना किया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 09.11.2001 के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही उप शासन सचिव के पत्र संख्या प–6(14)राज/6/97 जयपुर दिनांक 15.07.98 के परिपेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर की जानी है।

उभय पक्ष को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद आदिनांक तक उपस्थिति नहीं हुए है। उप शासन सचिव के पत्र संख्या प–6(14)राज/6/97 जयपुर दिनांक 15.07.98 के अनुसार–"राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत यदि जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर किसी अभिलेख को परीक्षण हेतु मंगवाते हैं और यदि ऐसे प्रकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्थगन आदेश अथवा यथावत् रखने का आदेश पारित करते हैं तो तद्नुसार नामान्तरकरण आदि स्वीकृत किये जाने पर रोक लगाई जा सकेगी अन्यथा इस धारा के अन्तर्गत रेफरेंस की कार्यवाही विचाराधीन होने पर किसी प्रकार की रोक लगाया जाना उचित नहीं है।"

प्रस्तुत प्रकरण में उप शासन सचिव के उक्त पत्रांक प–6(14)राज/6/97 जयपुर दिनांक 15.07.98 के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन नामा0 संख्या 331 दिनांक 31.05.2000 में किसी प्रकार का स्थगन/यथास्थिति के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2000 उचित नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.05.2000 को निरस्त किया जाता है एवं पटवारी हल्का लोहागल/भू अभिलेख निरीक्षक माकडवाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में किया जाकर पालना रिपोर्ट मय राजस्व रिकॉर्ड की प्रति के अविलम्ब प्रस्तुत करावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 28.7.2020 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान) अजमेर
तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner